अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 102/2011

नागेन्द्र प्रसाद राय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सोनपुर, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
16.04.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के ज्ञापांक 1010/आ0 दिनांक 19.11.11 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25.10.2011 को जॉच दल के द्वारा नागेन्द्र प्रसाद राय जनवितरण प्रणाली विक्रेता फतेहपुर चैन प्रखंड दरियापुर की दुकान की जॉच की गई। जॉच के कम में, विक्रेता की दूकान बन्द पाई गई। उक्त अनियमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 962/आ0 दिनांक 11.11.11 के द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर के द्वारा अपने ज्ञापांक 1010 दिनांक 19.11.11 के द्वारा विक्रेता की अनु0 रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है। सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि दिनांक 23.10.11 को विक्रेता की तबियत अचानक खराब हो गई थी जिस कारण से वे 23.10.11 से 27.10.11 तक अस्पताल में भर्ती रहे। चिकित्सक की सलाह पर्ची विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता जान बूझकर जॉच के समय अनुपस्थित रहे। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना उचित होगा। उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के	

परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश एक मुखर आदेश (Speaking Order) नहीं है। जॉच के कम में दूकान यदि बन्द पाई गई तो अनुज्ञापन पदाधिकारी को चाहिए था कि एक तिथि निर्धारित कर विकेता को सभी कागजात एवं पंजियों के साथ कार्यालय में बुलाते एवं उनकी जॉच की जाती और यदि जॉच मे कोई अनियमितता पाई जाती तो कारण पृच्छा करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी। विकेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं का बयान भी जॉच दल के द्वारा नहीं लिया गया है। इससे भी यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि क्या विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री के उठाव एवं वितरण में कोई अनियमितता बरती जा रही थी।

अपीलार्थी को निर्देश है कि भविष्य में कभी भी किसी अपरिहार्य कारणवश यदि वे दूकान पर उपस्थित न हो तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा दूकान का संचालन अवश्य सुनिश्चित करावें। विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में किसी भी परिस्थिति में निर्धारित कार्य अवधि के दौरान दूकान बन्द न रखी जाय। साथ ही, अपनी अनुपस्थिति के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए इसे निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 09.12.11 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 253 /न्या० दिनांक 17/4/15

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण
17/4/15